

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर जिला-सलुम्बर

श्री. श्यामली

विपक्षी- सरकार

कस्म मुकदमा-धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली संख्या- 61 / 2025

दिनांक

07/07/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुरस्ती का पेश करने पर दर्ज किया गया।

प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मौजा कांठ खाता संख्या 203 में प्रार्थी का नाम शुक्ली पत्नी लक्ष्मा अंकित है जिसे संशोधित करा श्यामली पत्नी स्व. लक्ष्मा अंकित किया जाने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का कांठ भू.अ.निरीक्षक सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रार्थी का नाम शुक्ली पत्नी लक्ष्मा निवासी कांठ के बजाय श्यामली पत्नी स्व. लक्ष्मा संशोधित किया जाने की अनुशंषा की गई है।

अतः पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंषा अनुसार मौजा कांठ पटवार हल्का कांठ की खाता संख्या 203 में प्रार्थी का नाम श्यामली पत्नी स्व. लक्ष्मा संशोधित किया जावे। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सलुम्बर, जिला सलुम्बर